बिहार सरकार

समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार

(समाज कल्याण विभाग)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना-800001।

संचिका संख्या:– ICDS/30020/01/2011/ 2897 दिनांक– 10/06/2013

प्रेषक,

बन्दना प्रेयषी, भा.प्र.से.
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय – **सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन/नए प्रावधान।**

महाशय,

सरकार द्वारा सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक 04.11.2011 से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन/नए प्रावधान किए जाते हैः--

कंडिका/ उप कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
4/4.8	जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहु/रिश्तेदार इस पद के लिये अयोग्य होंगी। (रिश्तेदार से अर्थ है– पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहु)।	**संबंधित जिले** के जनप्रतिनिधियों की पत्नी/ बहू/ रिश्तेदार इस पद के लिये आयोग्य होगीं। [रिश्तेदार से अर्थ है-- माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बडे एवं छोटे भाई की पत्नी) तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी और बहु]। जन प्रतिनिधि की पुत्री एवं बहन संबंधित प्रखंड में सेविका/सहायिका पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।
4/4.8 (I)	सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका – 2011 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.8 में जन प्रतिनिधि स्वंय अथवा उनके संबंधी ऑगनवाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन देते है तो जन प्रतिनिधि के पद से उनका त्याग पत्र कब मान्य होगा, का वर्णन नहीं है।	**अभ्यर्थी के संबंधी** अथवा स्वंय अभ्यर्थी का जन प्रतिनिधि के पद से आम सभा में लिए गये अंतिम निर्णय के उपरान्त 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना मान्य होगा। **इसके पश्चात ही चयन पत्र निर्गत किया जायेगा। यदि 15 दिनों के बाद भी स्वीकृत त्याग पत्र प्राप्त नही होता है तो मेधा सूची पैनल से दूसरे नम्बर के अभ्यर्थी का चयन किया जाए।**
4/4.9	संबंधित जिलें में पदस्थापित सरकारी/ अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी, बहु, रिश्तेदार	संबंधित पंचायत/ प्रखंड/ अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी कर्मचारी या

कंडिका / उप कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
	का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। (रिश्तेदार से अर्थ है – पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई,पुत्री)	पदाधिकारी के रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। [रिश्तेदार से अर्थ है– मॉ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बडे एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन]। संविदा अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी या **पदाधिकारी जिनकी मासिक आय रू0 6000/– (छः हजार रूपये) या उससे कम है, उनके ऊपर यह कंडिका लागू नहीं होती है।**
4/4.10	विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की पत्नी/ बहु/ रिश्तेदार इस पद के लिये आयोग्य होंगे। (रिश्तेदार से अर्थ है– पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)।	**संबंधित प्रखंड** के विभिन्न सरकारी सामग्रियों की विक्रेताओं (जैसे – जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की मॉ, पत्नी, बहु, रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। [रिश्तेदार से अर्थ है– मॉ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बडे एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन]।
4/4.12(v)	सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका--2011 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.12 (v) के अनुसार – " ऐसी महिलाऐं जो पहले से किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत है वे सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।	सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.12 (v) के अनुसार आशा कार्यकर्त्ता सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है. अंतः आशा कार्यकर्त्ता का चयन सेविका/सहायिका पद पर किया जायेगा। चयन होने के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर अपना शपथ पत्र में त्याग पत्र उपलब्ध करायेगी।
4/4.12(vi)	नया प्रावधान	ऑगनवाड़ी सेविका/सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्त्ता है। ये सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर नहीं है। अतः इनके रिश्तेदार का चयन सेविका/सहायिका के पद पर किया जायेगा।
10/10.10	नया प्रावधान	**विभिन्न प्रकार के जॉचों के फलस्वरूप सेविका/सहायिकाओं पर केन्द्र संचालन में अनियमितता इत्यादि बरतने के आरोप में किए गये** आदेशो/अपील आदेशो की समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार स्वयं अथवा अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा कर सकेगा तथा इन आदेशो **को संशोधित भी कर सकेगा।**
11/11.1	सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका – 2011 की कंडिका 11 की उप कंडिका 11.1 के अनुसार संबंधित सेविका/ सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना	संबंधित सेविका/ सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा

कंडिका / उप कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
	पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर इस पर निर्णय लिया जायेगा यदि एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।	**निर्धारित समय सीमा के उपरान्त** एक सप्ताह के अंदर इसे स्वीकृत / अस्वीकृत माना जाये। यदि एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वीकृत माना जायेगा।

उपरोक्त संशोधन / नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

विश्वासभाजन

10/6/13

(बन्दना प्रेयषी)
निदेशक

ज्ञापांक– ICDS/30020/01/2011/ 2897 दिनांक– 10/06/2013

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री समाज कल्याण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/13

निदेशक

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

संचिका संख्या – ICDS/50030/22-2012/ 2354 दिनांक – 17/05/13

प्रेषक,

राजित पुनहानी, भा.प्र.से.
सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय – **सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामले में प्रथम एवं अपीलीय प्राधिकार से संबंधित मार्गदर्शिका–2011 के कंडिकाओं में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सेविका और सहायिका के चयन में अनियमितता एवं चयनमुक्ति के मामले में अपीलीय प्रावधान के तहत सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में पूर्व से प्राधिकृत जिला पदाधिकारी के स्थान पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एंव द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप मे पूर्व से प्राधिकृत प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अपर समाहर्त्ता से अन्युन स्तर के पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में ऑगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका 10 की उप कंडिका 10.2, 10.3, 10.4 एवं 10.7 में निम्नांकित संशोधन किये जाते है –

कंडिका	पूर्व का प्रावधान	नया प्रावधान
10/10.2	चयन संबंधी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/वरीय उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से इसकी जॉच करायी जाएगी। जॉच परिवाद पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर पूरी कर ली जाएगी। जॉच पदाधिकारी जॉच समाप्त होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी को अपना प्रतिवेदन सौंपेगें। जिला पदाधिकारी परिवाद से संबंधित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर संबंधित पक्षों को सुनकर अपना मुखर आदेश पारित करेंगे।	चयन संबंधी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करते हुए उन्हें सुनवाई हेतु मौका देगें। समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए तीस (30) दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे।
10/10.3	यदि जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात यह पाया जाता है कि चयन में गंभीर अनियमितता बरती गई है तो जिला पदाधिकारी ऐसी सेविका/सहायिका के चयन को रद्द कर सकेगें तथा पैनल के द्वितीय अभ्यर्थी को चयन करने का निदेश देगें। जिला पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यदि चयन में अनियमितता पाते है तो उक्त चयन को रदद करते हुए मेधा सूची के द्वितीय अभ्यर्थी को चयन करने का आदेश देगें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध तीस (30) दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में पदस्थापित उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

10/10.4	प्रमंडलीय आयुक्त संबंधित पक्षों को सुनकर 45 दिनों के अन्दर मुखर आदेश पारित करेंगें। इस मामले में उनका आदेश अंतिम होगा। उनके आदेश के विरूद्व कोई अपील दायर नही होगी।	प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को सुनकर तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश से संबंधित अभिलेख का अवलोकन करते हुए पैतालिस (45) दिनों के अन्दर मुखर आदेश पारित करेंगें। इस मामले में उनका आदेश अंतिम होगा और इस आदेश के विरूद्व कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी।
10/10.7	राज्य स्तरीय जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर यदि समाज कल्याण विभाग/आई.सी.डी.एस.निदेशालय द्वारा संबंधित सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, तो संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर तथा उन्हें सुनने के पश्चात सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का आदेश पारित करेंगे। यह आदेश 30 दिनों में पारित करना होगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपर्युक्त आदेश के विरूद्व 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपील जिला पदाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी तथा जिला पदाधिकारी के आदेश के विरूद्व 30 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील निदेशक, आई.सी.डी.एस. के समक्ष दायर की जा सकेगी। निदेशक, आई.सी.डी.एस. के आदेश के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी।	राज्य स्तरीय जाँच दल, महिला पर्यवेक्षिका/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला स्तरीय जाँच दल/युद्व स्तरीय जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन के साथ सेविका/सहायिका की चयनमुक्ति की अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्राप्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगें। अपेक्षित सभी साक्ष्यों का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात् मुखर आदेश पारित करेंगे। यह आदेश प्राप्त अनुशंसा के तीस (30) दिनों के अंदर पारित करना होगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के स्वंय जाँच में पाई गई अनियमितता के लिए स्पष्टीकरण पूछते हुए संबंधित पक्ष को सुनवाई का मौका देते हुए चयनमुक्ति का आदेश पारित करेंगें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्व असंतुष्ट पक्ष तीस (30) दिनों के अन्दर अपील उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी। उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेश के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी।

तदनुसार उक्त के संबंध में पूर्व निर्गत सभी आदेश/अनुदेश अवक्रमित समझा जाय। उक्त संशोधन के आलोक में चयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

23/05/13

(राजित पुनहानी)
सचिव

ज्ञापांक – ICDS/50030/22-2012/ 2354 दिनांक – 17/05/13

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2539707 फैक्स +91-612-2535900 website: www.socialwelfare.bih.nic.in

हमारा बिहार

संचिका सं0 :– आई.सी.डी.एस. / 40020/01-2012/...3792 दिनांकः– 19/10/2012

प्रेषक,

प्रवीण किशोर, भा.प्र.से.
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय – ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर वार्ड आधारित परिसीमन के उपरांत ऑगनवाड़ी सेविकाओ/ सहायिकाओं के चयन के संबंध में।

प्रसंग – समाज कल्याण विभाग का आदेश – आई.सी.डी.एस. / 40020 / 1–2012 / 3609 दिनांक 09.10.2012

महाशय,

उपर्युक्त आदेश द्वारा दिनांक 15.10.2012 से राज्य के सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों का परिसीमन पंचायत वार्ड के आधार पर लागू कर दिया गया है। तदनुसार ऑगनवाड़ी केन्द्रों हेतु सेविकाओं एवं सहायिकाओं का चयन वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार ही किया जाना है।

2. कतिपय जिलों से इस संबंध में यह मार्गदर्शन मॉगा गया है कि जिन ऑगनवाड़ी केन्द्रों हेतु सेविकाओं अथवा सहायिकाओं के चयन हेतु पूर्व से चयन प्रकिया चल रही है उन मामलो में क्या चयन प्रकिया रद्द कर पुनः वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार चयन प्रकिया शुरू की जाय।

3. इस विषय में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऑगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के चयन प्रकिया में ऐसे सभी मामलो, जिनमें दिनांक 15.10.2012 तक चयन मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका 8.14 के अनुसार सर्वाधिक मेधा वाले अभ्यार्थी के चयन की घोषणा होने के बाद आम सभा सम्पूर्ण हो गयी हो, में इस प्रकिया को चयन पत्र निर्गत करते हुए सम्पूर्ण किया जायेगा। अन्य सभी मामलो, जिनमें चयन विभिन्न चरणों में प्रकियाधीन है, में चयन की कार्रवाई रद्द करते हुए वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार पुनः चयन प्रकिया की जायेगी। इसके साथ ही ऐसे मामले, जिसमें 15.10.2012 को प्रकियाधीन चयन वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार ही प्रांरभ किया गया है, को आगे बढ़ाते हुए चयन की कार्रवाई पूर्ण की जायेगी।

4. उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि ऑगनवाड़ी सेविकाओं / सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन यथाशीध्र सम्पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

विश्वासभाजन

(प्रवीण किशोर)
निदेशक

ज्ञापांक :– आई.सी.डी.एस. / 40020/01-2012/...3792 दिनांकः– 19/10/2012
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/12
निदेशक

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन +91-612-2539707 फैक्स +91-612-2535900 website www.socialwelfare.bih.nic.in

हमारा बिहार

संचिका सं0 :– आई.सी.डी.एस. / 40020/01-2012/3792 दिनांक:– 19/10/2012

प्रेषक,

प्रवीण किशोर, भा.रा.से.
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय – **ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर वार्ड आधारित परिसीमन के उपरांत ऑगनवाड़ी सेविकाओ / सहायिकाओं के चयन के संबंध में।**

प्रसंग – समाज कल्याण विभाग का आदेश – आई.सी.डी.एस. / 40020 / 1–2012 / 3609 दिनांक 09.10.2012

महाशय,

उपर्युक्त आदेश द्वारा दिनांक 15.10.2012 से राज्य के सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों का परिसीमन पंचायत वार्ड के आधार पर लागू कर दिया गया है। तदनुसार ऑगनवाड़ी केन्द्रों हेतु सेविकाओं एवं सहायिकाओं का चयन वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार ही किया जाना है।

2. कतिपय जिलों से इस संबंध में यह मार्गदर्शन मॉगा गया है कि जिन ऑगनवाड़ी केन्द्रों हेतु सेविकाओं अथवा सहायिकाओं के चयन हेतु पूर्व से चयन प्रकिया चल रही है उन मामलो में क्या चयन प्रकिया रद्द कर पुनः वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार चयन प्रकिया शुरू की जाय।

3. इस विषय में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऑगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के चयन प्रकिया में ऐसे सभी मामलो, जिनमें दिनांक 15.10.2012 तक चयन मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका 8.14 के अनुसार सर्वाधिक मेधा वाले अभ्यार्थी के चयन की घोषणा होने के बाद आम सभा सम्पूर्ण हो गयी हो, में इस प्रकिया को चयन पत्र निर्गत करते हुए सम्पूर्ण किया जायेगा। अन्य सभी मामलो, जिनमें चयन विभिन्न चरणों में प्रकियाधीन है, में चयन की कार्रवाई रद्द करते हुए वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार पुनः चयन प्रकिया की जायेगी। इसके साथ ही ऐसे मामले, जिसमें 15.10.2012 को प्रकियाधीन चयन वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार ही प्रांरभ किया गया है, को आगे बढ़ाते हुए चयन की कार्रवाई पूर्ण की जायेगी।

4. उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि ऑगनवाड़ी सेविकाओं / सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन यथाशीघ्र सम्पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

विश्वासभाजन

(प्रवीण किशोर)
निदेशक

ज्ञापांक :– आई.सी.डी.एस. / 40020/01-2012/3792 दिनांक:– 19/10/2012
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/12
निदेशक

Icds Builder

Gnarfel

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

संचिका संख्या :–ICDS/30010/1-2011/..1528.. दिनांकः– 27/04/2012

प्रेषक,

संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0
सचिव
समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय :– सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन।

महाशय,

सरकार द्वारा सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक 04.11.2011 से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं:–

1 **मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 5 की उप–कंडिका 5.2 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है:–**

5.2 इन्टर अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 7 (सात) बोनस अंक दिये जायेंगे तथा स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 (सात) अतिरिक्त बोनस अंक दिये जायेंगे।

2. **मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 4 की उपकंडिका 4.8 के बाद कंडिका 4.8(A) तथा कंडिका 4.12 में 4.12(v) जोड़ी जाती है:–**

4.8(A) जनप्रतिनिधि (जैसे– मुखिया, वार्ड सदस्य, सदस्य–पंचायत समिति, पंच, सरपंच, प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड कमिश्नर इत्यादि) सेविका/सहायिका पद के लिए अयोग्य होंगी।

4.12(V) ऐसी महिलाएं जो पहले से किसी सरकारी/अर्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत हैं, वे सेविका/सहायिका के पद पर चयन के लिए अयोग्य होंगी।

ये सारे संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उक्त संशोधन के आलोक में चयन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
27/4/12
(संदीप पौण्डरीक)
सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :– ICDS/30010/1-2011/..1528.. दिनांक :– 27/04/2012

प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/4/12
सचिव
समाज कल्याण विभाग

Suman

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्रांक :- ICDS/30010/1-2011/................ दिनांक ....

प्रेषक,

संदीप पौण्डरीक, भा.प्र.से.
सचिव,
समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय - सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन।

महाशय,

सरकार द्वारा सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक 04.11.2011 से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किये जाते है :-

1.मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 7 की उप-कंडिका 7.1 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :-

7.1 आँगनबाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का ही चयन किया जायेगा। अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग में सभी अर्हता प्राप्त कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गों को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सहायिका का चयन किया जायेगा :-

(1) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

(2) पिछड़ा वर्ग

(3) अल्पसंख्यक

(4) बाहुल्य वर्ग

(5) सामान्य वर्ग।

किसी भी वर्ग में एक से अधिक उम्मीदवारों की उपलब्धता की स्थिति में चयन की प्रक्रिया कंडिका 7.2 के समरूप होगी।

2.मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 10 की उप-कंडिका 10.7 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :-

10.7 राज्य स्तरीय जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर यदि समाज कल्याण विभाग/आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा संबंधित सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, तो संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर तथा उन्हें सुनने के पश्चात सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का आदेश पारित करेंगे। यह आदेश 30 दिन में पारित करना होगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील जिला पदाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी तथा जिला पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील निदेशक, आई.सी.डी.एस. के समक्ष दायर की जा सकेगी। निदेशक, आई.सी.डी.एस. के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन संशोधनों के आलोक में चयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(संदीप पौण्डरीक)
सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/30010/1-2011/......1001...   दिनांक 20.3.12

प्रतिलिपि :- सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई. टी. मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

सचिव
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्रांक– ICDS/30010/1-2011/ दिनांक –

प्रेषक,

संदीप पौण्डरीक
सचिव
समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय – सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन।

महाशय,

उपरोक्त विषय में सरकार द्वारा सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक 04.11.2011 से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किये जाते है :-

1. **मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 2 में निम्न परिभाषा जोड़ी जाती है:–**

2 (ट) ''बाहुल्य वर्ग'' से अभिप्रेत है आँगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवारों की संख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु.जनजाति, अनु.जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग।

2. **मार्गदर्शिका,2011 की कंडिका 4.2 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :–**

4.2 चयन प्रक्रिया में बाहूल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। सेविका का चयन पोषक क्षेत्र के बाहूल्य वर्ग के उम्मीदवारों में से ही किया जायेगा, बशर्ते वे कंडिका 4 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अहर्त्ताए पूरी करती हों। चयन हेतु कंडिका 5 के अनुसार मेधा सूची का निर्धारण करते हुए बाहूल्य वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। अगर बाहूल्य वर्ग में से सभी अहर्त्ताए प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नही मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गो को निम्नांकित वरीयता कम

देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा :-

1. अनु.जनजाति
2. अनु.जाति
3. अतिपिछड़ा वर्ग
4. पिछड़ा वर्ग
5. अल्पसंख्यक
6. सामान्य

(व्याख्या - अगर किसी पिछड़ा वर्ग बाहूल्य पोषक क्षेत्र में एक भी पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार सभी अर्हत्ताए प्राप्त नही है तब उपरोक्त वरीयता कम 1.'अनु.जनजाति' वर्ग के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। पुनः अगर अनु.जनजाति में भी ऐसा कोई उम्मीदवार नही मिलता है तब उपरोक्त वरीयता कम 2. अनु.जाति के अर्हत्ता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। यह प्रकिया इसी प्रकार अतिपिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसख्यंक वर्ग एवं सामान्य वर्ग तक आवश्यकतानुसार अपनाई जाती रहेगी जब तक अहर्त्ता प्राप्त उम्मीदवार नही मिल जाता)

3. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 5.3 और 5.5 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :-

5.3 इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिये जायेगें :-

(क) विधवा/परित्यकता	- 7 अंक
(ख) विकलांग	- 5 अंक
(ग) सहायिका	- 5 अंक

5.5 कंडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न कम में दी जायेगी :-

1. विधवा
2. परित्यकता
3. विकलांग
4. सहायिका

टिप्पणी – विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यकता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

4. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 9.1 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :-

9.1 सेविका और सहायिका अधिकतम 60 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने में सेविका और सहायिका स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात् इस मार्गदर्शिका के अनुसार नई सेविका और सहायिका के चयन की कार्रवाई की जाएगी।

5. मार्गदर्शिका,2011 में कंडिका 12 के बाद निम्न कंडिका समाहित की जाती है :-

13. इस मार्गदर्शिका की कंडिका 8.18, 9.1 और 9.2 पूर्व से कार्यरत सभी सेविकाओं और सहायिकाओं पर भी लागू होगी।

ये सारे संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगे। उक्त संशोधन के आलोक में चयन की कारवाई सुनिश्चित करे।

विश्वासभाजन
ह0/-
(संदीप पौण्डरीक)
सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक – ICDS/30010/1-2011/423 दिनांक-3/2/12

प्रतिलिपि – सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3/2/12
सचिव
समाज कल्याण विभाग